



जोधपुर

विद्युत वितरण  
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर - 342 003 फोन नं. 0291 2651337 (का) 2651389(नि) फेक्स नं० 2741870  
जयपुर फोन नं. 0141 2740121 (का) फेक्स नं. 2740121

क्रमांक:-जोधपुर डिस्कॉम/प्र.नि./मुअ/सीपीएम/अनु-वाणिज्य/सी-1/2004/प्रे.सं.....91..... दिनांक 20-4-04

परिपत्र

विषय: समझौता समितियों की बैठकों की कार्यवाही विवरण का स्पष्ट एवं विस्तृत नहीं होने के संदर्भ में ।

पूर्व में समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत यह भावना रही है कि समझौता समिति की बैठकों की कार्यवाही विवरण विस्तृत एवं स्पष्ट होने चाहिये । भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार ने अपने वाणिज्यिक प्रतिवेदन में खण्ड एवं वृत्त स्तर समझौता समितियों द्वारा लिये गये कतिपय फैसलों पर प्रतिकूल टिप्पणियां भी की हैं ।

इन टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त सम्बन्धित अधिकारियों के लिये निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, जिनकी अनुपालना सुनिश्चित की जावे:-

- 1- प्रत्येक स्तर की समझौता समितियों की बैठकों का कार्यवाही विवरण विस्तृत एवं स्पष्ट होना चाहिये ।
- 2- उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूटों का निर्णय में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये ।
- 3- किसी मामले में यदि कोई निर्णय नहीं हो पाता हो तो स्वयं में स्पष्ट आदेश पारित किये जाने चाहिये ।

( आर०एस०चौधरी )  
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2- वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 3- सम्भागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर
- 4- सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता(नगर/जिला/पवस/पीपीएम/पदार्थ प्रबन्ध/एम.एण्ड पी/बीएफएल), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/हनुमानगढ़/चुरू/श्रीगंगानगर/जैसलमेर ।
- 6- वरिष्ठ लेखाधिकारी(पवस/एम.एम.सी./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
- 7- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 8- अति. अधीक्षक पुलिस(सतर्कता एवं जांच), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 9- कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 10- अधिशाषी अभियन्ता(विधि/एम.आई.एस./आन्तरिक अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर
- 11- अधिशाषी अभियन्ता(नगर- /जिला खण्ड/पवस/ग्रामीण), जोधपुर डिस्कॉम,..... को अपने अधीनस्थ सभी सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक राजस्व अधिकारी को वितरण हेतु अतिरिक्त प्रतिलिपियां सहित ।
- 12- प्रावे.सहा. माननीय प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम/जयपुर डिस्कॉम/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर/अजमेर को माननीय प्रबन्ध निदेशक के अवलोकनार्थ ।
- 13- प्रावे.सहा. मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एम.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 14- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 15- लेखाधिकारी(वाणिज्य), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

मुख्य अभियन्ता ( सी.पी.एम.)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।